HRAA AJUST The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2011/फाल्गुन 13, 1932 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2011/PHALGUNA 13, 1932

No. 411]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2011

का.आ. 478(अ),—केन्द्रीय सरकार कयर उद्योग (पंजीकरण) नियम, 2008 में संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप जिसे कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है;

यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर इस अधिसूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे कोई आक्षेपों या सुझाव पर, ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आक्षेप अथवा सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, भारत सरकार, सूक्ष्म, लधु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों का साँक्षप्त नाम कयर उद्योग (पंजीकरण) संशोधन नियम, 2011 है।
 (2) ये पंजीकरण राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कयर उद्योग (पंजीकरण) नियम, 2008 में,---
 - (क) नियम 5 में "प्रमाण-पत्र में इसके लिए आवंटित पृथक पंजीकरण संख्या" शब्दों के स्थान पर "प्रमाण-पत्र में इसके लिए आवंटित पृथक पंजीकरण संख्या को अपेक्षित दस्तावेजों सहित सम्यक रूप से भरे गए आवंदन की प्राप्ति के 45 दिन के अन्दर" शब्द रखे जाएंगे ।
 - (ख) नियम 17 के उप-नियम (4) में "प्रमाण-पत्र जारी करेगा" शब्दों से पहले "पन्द्रह दिन के भीतर" शब्द जोड़े जाएंगे।
 - (ग) नियम 19 में पहले परंतुक में "विलंब के लिए प्रत्येक माह 10 रुपये अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर "अधिकतम छह हजार रुपये के अध्यधीन पहले मास अथवा उसके भाग के विलंब के लिए 10 रु; अगले एक मास अथवा उसके भाग के विलंब के लिए 40 रु.; अगले एक मास अथवा उसके भाग के विलंब के लिए 40 रु.; अगले एक मास अथवा उसके भाग के विलंब के लिए 80 रु." शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 6(25)/2000-कवर (खण्ड-III)]

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2061(अ), तारीख 18 अगस्त, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चात्वर्ती का.आ. 3061 (अ), 26 नवम्बर, 2009 द्वारा संशोधित किए गए ।

852 GI/2011

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2011

S.O. 478(E).—The following draft of certain rules to amend the Coir Industry (Registration) Rules, 2008, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 26 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), is hereby published for the general information.

Notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of the period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette;

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect to the said draft rules, before the period specified above, shall be taken into consideration by the Central Government;

The objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary to the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

DRAFT RULES

- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Coir Industry (Registration) Amendment Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Coir Industry (Registration) Rules, 2008,-
 - (a) in rule 5, for the words "distinctive registration number allotted to it in the certificate", the words
 "distinctive registration number allotted to it in the certificate within forty five days of the receipt of
 application duly filled up and supported by requisite documents" shall be substituted;
 - (b) In rule 17, in sub-rule (4), after the words "issue a certificate" the words "within fifteen days" shall be inserted;
 - (c) In rule 19, in the first proviso, for the words "Rs.10 for the delay of each month or part thereof", the words "rupees ten for the delay of first month or part thereof; rupees twenty for the delay of next one month or part thereof; rupees eighty for the delay of next one month or part thereof; rupees eighty for the delay of next one month or part thereof and so on subject to a maximum of rupees six thousand only" shall be substituted.

[F. No. 6(25)/2000-Coir (Vol. III)]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 2061(E), dated the 18th August, 2008 and subsequently amended vide S.O. 3061(E), dated the 26th November, 2009.